फर्द अहकाम

श्री० डी० कलक्टर बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 63/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	10/11/23	[illegible] की जाकर [illegible] को पेश हो। 18/11/23	
	18/12/23	[illegible] P.O. सा० अन्य कार्य में व्यस्त होने से [illegible] 21/12/23	
	21/12/23	[illegible] 26/12/23	
	26/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० । वकील वादी की जाप्ता कुर्रेजात जो इसी के पत्रावली में शामिल है, पर बहस एक-दूसरे को सुनी गई। पत्रावली वास्ते लाडिशा दिनांक 27/12/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	27/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी के बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act की मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल सिजिल किया गया। पत्रावली फकरात शुमार होकर नाकर से कम दो तथा बाद प्राप्ति आदेश दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़